न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2015/00148

देवेन्द्र कुमार आयु 65 साल आत्मज श्री मांगीराम जाति अग्रवाल महाजन निवासी जयपुर हाल निवासी 46 रजत गृह कॉलोनी गेट नं0 06 नैनवा रोड बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. हरनेक सिंह आत्मज श्री त्रिलोक सिंह जाति सिख निवासी सरदारों का टपरा बडा नया गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. दलजीत सिंह आत्मज मेघसिंह ।
3. मुखपाल सिंह आत्मज मेघसिंह ।
4. हरजीत कौर पुत्री मेघसिंह ।
5. छिन्दर कौर पुत्री मेघसिंह ।
6. राजवत्न कौर पुत्री मेघसिंह ।
7. कुलवन्त कौर पुत्री मेघसिंह ।
8. गोगाकौर पुत्री मेघसिंह ।
9. महेन्द्र कौर बेवा मेघसिंह जातियान पंजाबी सिख निवासी ग्रेड के पास गरनारा रोड ग्राम सीलोर तहसील व जिला बून्दी ।
10. गुरूमुख सिंह आत्मज चन्दन सिंह ।
11. भूपेन्द्र सिंह आत्मज चन्दन सिंह ।
12. हरबंश सिंह आत्मज चन्दन सिंह ।
13. संतोष सिंह आत्मज चन्दन सिंह जातियान पंजाबी सिख निवासीगण दो नहरों की ओर बडा नया गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
14. गरदेव सिंह आत्मज जग्गा सिंह जाति सिख निवासी सी/ओ रणजीत सिंह सरदारों का टपरा ग्राम बडा नया गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
15. गुरूदेव कौर बेवा श्री मेहर सिंह जाति सिख निवासी सी/ओ0 रणजीत सिंह सरदारों का टपरा ग्राम बडा नया गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
16. बूटा सिंह आत्मज कर्म सिंह जाति सिख निवासी बडा नयागॉव हाल निवासी उमरच तहसील एवं जिला बून्दी ।
17. अमर कौर बेवा कर्मसिंह जाति सिख निवासी बडा नयागॉव ।
18. मंगल सिंह आत्मज तेज सिंह जाति सिख निवासी बडा नया गॉव (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
    18/1. कुलविन्द्र कौर पत्नी प्रकट सिंह स्वर्गीय जाति सिख निवासी बडा नया गॉव ।
    18/2. गुरजोत सिंह
    18/3. गुरूप्रीत सिंह पिसरान स्व0 प्रकट् सिंह जातियान सिख निवासीयान बडा नया गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
19. दर्शन कौर पत्नी मंगल सिंह जाति सिख निवासी बडा नया गॉव (मृतक) ।

20. दिलवाग सिंह आत्मज मंगल सिंह जाति सिख निवासी बडा नया गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
    20/1. गुरूबक्ष सिंह आत्मज दिलबाग सिंह जाति सिख निवासी मांडल फार्म के पास बडा नया गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
    20/2. सतवीर कौर पत्नी दिलबाग सिंह जाति सिख निवासी मांडल फार्म के पास बडा नया गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
21. अवतार सिंह आत्मज हरनेक सिंह जाति सिख निवासी सरदारी का टपरा ग्राम बडा नया गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
22. चरणजीत सिंह आत्मज ज्ञान सिंह जाति सिख नाबालिग जरिये सरंक्षक हरनेक सिंह निवासी सरदारों का टपरा ग्राम बडा नया गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
23. राजस्थान सरकार राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री प्रेमशंकर गुर्जर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री दीपक कुमार साहू, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 22.01.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.04.2007 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर कथन किया कि ग्राम बडा नया गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खसरा नम्बर 291 रकबा 13 बीघा, खसरा नम्बर 292 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 293 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 294 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 295 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 304 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 305 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि को वादी के पूर्वज श्री त्रिलोक सिंह ने पडत से आबाद किया था तब से ही उक्त आराजी पर त्रिलोक सिंह जी काबिज रहकर जीवनपर्यन्त काश्त करते रहे । त्रिलोक जी की मृत्यु के बाद वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । प्रतिवादी ने सन् 1984 में एक वादपत्र वादी, वादी के पिता व अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय सहायक कलक्टर कोर्ट नं0 02 बून्दी में पेश किया जिसमें प्रतिवादी ने वादग्रस्त आराजी पर वादी व वादी के पिता त्रिलोक सिंह का कब्जा माना था । उक्त वाद 1996 में खारिज हो गया । इसके पश्चात् मेघसिंह द्वारा अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई वर्तमान समय में कोई कार्यवाही किसी सक्षम न्यायालय में लम्बित नहीं है । प्रतिवादी मेघसिंह व अन्य व्यक्तियों द्वारा पेश किये गये जवाब से यह पूर्णरूप से प्रमाणित है कि वादग्रस्त आराजी पर वादी व वादी के पिता श्री त्रिलोक सिंह जी का कब्जा चला आ रहा है । वादी कानूनी रूप से वादग्रस्त आराजी के

खातेदार बन गये हैं लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक वादी का नाम अंकित नहीं हुआ है । इसी कारण से मेघसिंह की नियत में बदयान्ति आ गई और वे ऐन–केन प्रकारेण वादग्रस्त आराजी से वादी के अधिकारों को समाप्त करने पर आमादा हैं और उक्त आराजी को अन्यत्र बेचान करने पर आमादा हैं ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का खातेदार वादी को घोषित किया जावे और राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम खातेदार के रूप में दर्ज किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल नहीं करें । यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी पर कब्जा कर लें तो उन्हें बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे ।

4. प्रतिवादी कम01 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. तत्पश्चात् दिनांक 17.05.2002 को पक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में लिखित राजीनामा पेश किया गया और राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करने का कथन किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.04.2007 के द्वारा वाद वादी स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.04.2007 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में गलत पक्षकार संयोजित किये हैं । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट 1/4 हिस्से का खातेदार है लेकिन फिर भी जानबूझकर वादी रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है । वादी ने मिली भगत कर आपस में राजीनामा प्रस्तुत करवा लिया और विकेता बूटा सिंह व अमरकौर को अनावश्यक ही उक्त वाद में पक्षकार बनाकर वाद डिक्री करवा लिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री से अपीलान्ट के हित प्रभावित हुए हैं वह प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.04.2007 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्से के खातेदार हैं । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया था । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से प्रभावित पक्षकार हैं और प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट ने बूटासिंह के 1/8 हिस्से व अमरकौर के 1/8 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र से दिनांक 05.07.2000 को कय किया है । तब से ही वे उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ

रहे हैं । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट को प्रस्तुत प्रकरण में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें ।

9. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील के साथ एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना दावा डिक्री किया गया है । इसलिए अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी प्राप्त नहीं हुई । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की माह अगस्त, 2015 में सर्वप्रथम जानकारी तब हुई जब हरनेक सिंह, अवतारसिंह व चरणजीत सिंह रेस्पोडेन्ट ने ग्राम बडा नयागॉव में प्रार्थी अपीलान्ट को धमकी दी कि भूमियॉ तो हमारे नाम खाते में बंध चुकी है । जिस पर नकल का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 03.09.2015 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

10. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

11. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम बडा नयागॉव तहसील हिण्डोली में स्थित है । रेस्पोडेन्ट कम 01 वादी ने एक दावा अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 9 के पिता व पति मेघसिंह तथा रेस्पोडेन्ट कम 10 लगायत 13 के पिता व पति चन्दनसिंह तथा रेस्पोडेन्ट कम 14 लगायत 20 प्रतिवादीगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया जो दिनांक 27.04.2007 को डिक्री किया गया । अपीलान्ट के हित इस निर्णय व डिक्री से प्रभावित हुए हैं । इसलिए अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है । अधीनस्थ न्यायालय में गलत पक्षकारों को संयोजित किया गया है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्से का स्वामी है फिर भी जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है । रेस्पोडेन्ट कम 16 और 17 के 1/4 हिस्से को अपीलान्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.07.2000 से क्रय किया था और तभी से अपीलान्ट 1/4 हिस्से पर काबिज काश्त है । दावा दिनांक 17.03.2001 को अपीलान्ट के द्वारा आराजी क्रय करने के पश्चात् पेश किया गया था जिसमें अपीलान्ट आवश्यक पक्षकार था । रेस्पोडेन्ट कम 01 ने न्यायालय को गुमराह किया है और मिली भगत करके राजीनामा प्रस्तुत किया है । चूँकि रेस्पोडेन्ट बूटासिंह और अमर कौर वादग्रस्त आराजी को विक्रय कर चुके थे इसलिए उनके द्वारा दावे में अपना पक्ष नहीं रखा गया और अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा अधीनस्थ न्यायालय के त्रुटिपूर्ण निर्णय के कारण रेस्पोडेन्ट कम 21 व 22 के खाते में दर्ज हो गया है । वादी के द्वारा दावा डिक्री होने के उपरान्त आराजी रेस्पोडेन्ट कम 21 व 22 को हस्तान्तरित भी कर दी गई है । अपीलान्ट ने धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है और धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.04.2007 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1998 पेज 319 उद्धरत की।

12. रेस्पोडेन्ट कम 21 व 22 के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में कथन किया कि सन् 2007 के निर्णय के खिलाफ अपील सन् 2015 में 08 वर्ष के विलम्ब से पेश की

गई है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में जो विक्रेता है उन्हें पक्षकार बनाया गया था और वो सहखातेदार दर्ज थे यदि अपीलान्ट ने उनसे आराजी क्रय की है तो विक्रेता के हिस्से से ही प्राप्त कर सकते हैं इससे गुणावगुण पर कोई असर नहीं पडता है । विलम्ब के प्रत्येक दिन के कारण को स्पष्ट करना होता है जो नहीं किया गया है । वादग्रस्त आराजी अनुसूचित सदस्य की है जबकि अपीलान्ट सवर्ण हैं इनको खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । रेस्पोडेन्ट ने इस आराजी को पडत से आबाद किया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील में कथन किया गया है कि उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.07.2000 को 1/4 हिस्सा क्रय किया था व उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट क्रम 01 द्वारा निर्णय व डिक्री न्यायालय को भ्रम में रखकर गुमराह करके प्राप्त की थी । यहॉ यह विदित है कि उक्त प्रकरण के खातेदार बूटा सिंह आत्मज करम सिंह पूर्व के वाद संख्या 10/2001 बउनवान हरनेक सिंह बनाम मेग सिंह में बूटा सिंह पक्षकार था । उक्त व्यक्ति ही खातेदार था इस कारण उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के रूप में पक्षकार थे जिन्हें वाद में पक्षकार बनाया गया था । अपीलान्ट का यह कथन असत्य है कि पूर्व वाद में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया था क्योंकि जो खातेदार थे उन्हें ही पक्षकार जमाबन्दी के आधार पर बनाया गया था । देवेन्द्र कुमार का तत्समय उक्त भूमि की जमाबन्दी पर नाम नहीं था इस कारण उसे किस तरह से पक्षकार बनाया जाता । पूर्व में खाता संख्या 430 संवत् 2060–63 की जमाबन्दी में अपीलान्ट का नाम 1/4 हिस्से में गलत दर्ज हुआ क्योंकि उक्त भूमि पर कभी भी अपीलान्ट का कब्जा नहीं रहा है । भूमि को रेस्पोडेन्ट क्रम 01 हरनेक सिंह के पिता ने पडत से आबाद किया । उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर उन्हें खातेदार घोषित किया गया है । रेस्पोडेन्ट क्रम 01 जाति से रामसादिया है जो अनुसूचित जाति में आते हैं । उक्त खसरा नम्बरान जो अपील में विवादित है उक्त भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि है जो किसी भी प्रकार से अन्य व्यक्तियों के नाम अन्तरण नहीं हो सकती । अपीलान्ट सवर्ण जाति के व्यक्ति हैं । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत उक्त भूमि का अन्तरण शून्य है । करम सिंह की मृत्यु 1987 में हो गयी थी इस कारण बूटा सिंह एवं अमर कौर को वाद में पक्षकार बनाया । बूटा सिंह एवं अमर कौर द्वारा कभी भी भूमि को बेचान करने के सम्बन्ध में कभी कथन नहीं किया न ही देवेन्द्र का विक्रय पत्र अपने पक्ष में निष्पादन के बाद से आज तक उक्त भूमि पर कब्जा रहा है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.04.2007 बहाल रखा जावे।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी हरनेक सिंह ने एक दावा अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है । वादी की ओर से दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी प्रदर्श–पी–1, नकल दावा द्वारा मेघसिंह न्यायालय सहायक कलक्टर बून्दी प्रदर्श–पी–2, दावे में पेश परिशिष्ट 'अ' प्रदर्श – पी–3, निर्णय सहायक कलक्टर बून्दी दिनांक 13.02.1996 प्रदर्श–पी– 4, मांगपत्र फोटो प्रति प्रदर्श– पी–5, सिंचाई विभाग की रसीदें प्रदर्श– पी– 06 लगायत पी–40 पेश की गयी हैं ।

14. बयान वादी हरनेक सिंह पीडब्ल्यू–1, मांगीलाल पीडब्ल्यू–2 कराये गये हैं ।

15. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 27.04.2007 के द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है । अपील में अपीलान्ट के द्वारा दो रजिस्ट्री की फोटो प्रति पेश की गई हैं । विक्रय पत्र के अनुसार अमरकौर बेवा करम सिंह जाति जट सिख के द्वारा कुल 24 किता की 107 बीघा 15 बिस्वा में अपना 1/8 हिस्सा 03 लाख रूपये में देवेन्द्र कुमार अग्रवाल को बेचान किया गया है और यह विक्रय पत्र उप पंजीयन कार्यालय में दिनांक 05.07.2000 को पंजीबद्ध हुआ है इसमें जिस आराजियात का उल्लेख है उसमें वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 291 रकबा 13 बीघा, खसरा नम्बर 292 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 293 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 294 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 295 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 304 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 01 बीघा 10 बिस्वा शामिल है । पत्रावली पर जो नकल जमाबन्दी प्रदर्श– पी–1 संलग्न है उसके अनुसार अमर कौर का इसमें 1/8 हिस्सा निहित है । इसी प्रकार एक अन्य विक्रय पत्र जो कि दिनांक 05.07.2000 को उप पंजीयन कार्यालय हिण्डोली में पंजीबद्ध हुआ है की फोटो प्रति पेश की गई है जिसे कि बूटासिंह पुत्र करमसिंह ने वादग्रस्त आराजी में निहिण अपने 1/8 हिस्से को अपीलान्ट को विक्रय किया है। ये दोनों विक्रय पत्र दावा पेश होने से पूर्व ही पंजीबद्ध हो चुके हैं । इस प्रकार इस दावे में अपीलान्टगण आवश्यक पक्षकार थे जिनको पक्षकार बनाये बिना दावा पेश किया गया है । आवश्यक पक्षकारों के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वो अवैध है और ऐसा निर्णय जो अवैध होता है उसके लिए समय सीमा गौण हो जाती है । अपीलान्ट के द्वारा अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है । इन तथ्यों के आधार पर विलम्ब का शमन कर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है ।

16. अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी सन् 2000 में दावा दायरी से पूर्व ही क्रय की है इसलिए वो इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी भी स्वीकार किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय ने आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार बनाये बिना जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । हम इस प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक समझते हैं ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.04.2007 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर विधि सम्मत रूप से नये सिरे से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 22.02.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

18. निर्णय आज दिनांक 22.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/1/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा